मुख्य अभियंता–4 (मु0) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0–मु0अ0–4 (मु0) स्था0 (क्षे0)–05–03 / 2022 – 05 पटना, दिनांक– 2/2/2023

मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के निम्नांकित कर्मियों को कार्यहित में / प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–05 में अंकित स्थान / कार्यालय में अगले आदेश तक स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है–

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	गृह जिला	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवपदस्थापित / कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ममता कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक	औरंगाबाद	राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियॉ	
2	श्रीमती संगीता मिश्रा, निम्न वर्गीय लिपिक	मधुबनी	अग्रिम योजना प्रमण्डल–1, पटना	अग्रिम योजना प्रमण्डल–3, पटना	
3	श्री फिरोज अहमद, निम्न वर्गीय लिपिक	पू0 चम्पारण	अग्रिम योजना प्रमण्डल–1, पटना	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा	
4	श्रीमती रंजू कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक	पटना	अग्रिम योजना प्रमण्डल–2, पटना	राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना	
5	श्री राहुल राजा, निम्न वर्गीय लिपिक	पटना	अग्रिम योजना प्रमण्डल–3, पटना	अग्रिम योजना प्रमण्डल–2, पटना	
6	श्री कुमार गौरव, निम्न वर्गीय लिपिक	शेखपुरा	अग्रिम योजना प्रमण्डल–3, पटना	अग्रिम योजना प्रमण्डल–1, पटना	
7	श्री विशाल कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक	समस्तीपुर	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, सहरसा	
8	श्रीमती शिल्पी कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक	साहिबगंज (झारखंड)	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, भागलपुर	क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियॉ	

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

3. सभी स्थानांतरित कर्मी का माह फरवरी, 2023 का वेतन नवपदस्थापित कार्यालय से किया जायेगा। उक्त का अनुपालन नियंत्री पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मियों को दिनांक 04.02.2023 तक निश्चित रूप से नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु विरमित करेंगे तथा विरमित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। विरमित नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मी दिनांक 06.02.2023 से अपने पूर्व पदास्थापित कार्यालय से नवपदस्थापित कार्यालय में योगदान देने हेतु स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

5. इस आदेश के क्रमांक 5 पर अंकित श्री राहुल राजा, निम्न वर्गीय लिपिक को कार्यहित में अगले आदेश तक MMGSY कोषांग में प्रतिनियुक्त रहेंगे।

शेष निम्न वर्गीय लिपिक की प्रतिनियुक्ति से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश स्वतः विलोपित / रद्द समझे जायेंगे।

6. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की उनके अधीन पदस्थापित किये गये कर्मी का अद्यतन सेवापुस्त को पूर्व पदस्थापन स्थान से प्राप्त कर लें।

7. यदि इस आदेश में कोई भी अशुद्धियॉ, त्रुटियॉ या किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो संबंधित नियंत्री पदाधिकारी एवं लिपिक सीधे अधोहस्ताक्षरी को संबोधित कर आवेदन समर्पित करेंगे।

8. उक्त प्रस्ताव पर अभियंता प्रमुख महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(भगवत राम)
मुख्य अभियंता–4 (मु0)

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) स्था0 (क्षे0)–05–03/2022 820 दिनांक– 2/2/2023

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4 (मु0)

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) स्था0 (क्षे0)–05–03/2022 820 दिनांक– 2/2/2023

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना अंचल/राज्य गुणवत्ता समन्वयक, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमण्डल–1/2/3, पटना/क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर/सहरसा/भागलपुर/पूर्णियॉ तथा संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

निदेश है कि स्थानान्तरित कर्मचारियों को अविलम्ब विरमित करते हुए उन्हें नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करायें एवं कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को संसूचित करें।

मुख्य अभियंता–4 (मु0)

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) स्था0 (क्षे0)–05–03/2022 820 दिनांक– 2/2/2023

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियंता–4 (मु0)